



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0- 08.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजा पुत्र हरिशचन्द्र निवासी नौगांव कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 142/2009 वाद स०- 96/2009 धारा- 21/22 NDPS ACT थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 08.08.2024 को माननीय न्यायालय एन०डी०पी०एस० एकट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री दिनेश सिंह



एडीजीसी - श्री शीलरत्न आनन्द



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० नितिन कुमार









कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मेरापुर

जनपद- फर्रुखाबाद

वि.क्षे- मोहम्मदाबाद
यु.डा.कॉड- 09290813



कक्षा क्रमांक 6



